

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग  
राज्य सरकार/भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग जातियों के लिये

नवीन आवेदन-पत्र

मध्य प्रदेश

यह आवेदन-पत्र संस्था प्रमुख को 30 सितम्बर तक अथवा कोर्स प्रारम्भ होने के 30 दिन के अन्दर  
जो भी बाद में हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है।)

आवेदक को पासपोर्ट  
साईज का फोटो जिस पर  
उसके हस्ताक्षर हो.  
चिपकाना चाहिये

भाग (अ)

(प्रविष्टियां आवेदक द्वारा साफ-साफ स्पष्ट अक्षरों में भरी जायें )

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| (1) आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)        | श्री/श्रीमती/कुमारी ..... |
| (2) पिछड़ा वर्ग जाति/उप जाति)                | .....                     |
| (3) धर्म                                     | .....                     |
| (4) मूल निवासी/स्थायी पता                    | जिला .....                |
|  | .....                     |
|  | .....                     |
| (5) पिता/पति का नाम (पूरा नाम लिखें)         | .....                     |
| (6) पालक का नाम, पूरा पता तथा आवेदक से संबंध | नाम .....                 |
|  | पता .....                 |
|  | संबंध (रिश्तेदारी) .....  |
| (7) पालक की वार्षिक आय                       | .....                     |
| (8) बैंक खाता क्रमांक                        | .....                     |
| (9) आधार कार्ड क्रमांक                       | .....                     |

(2)

(10) विगत दो वर्षों की परीक्षाओं का ब्यौरा दें (अंक सूचियों की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें) शिक्षा सत्र में हुआ कोई व्यवधान रिमार्क के खाने में दर्शाया जाना चाहिये :-

| परीक्षा का नाम | संस्था/विश्वविद्यालय<br>या मंडल का नाम | जिस वर्ष में<br>परीक्षा दी | परीक्षा, उत्तीर्ण की अथवा<br>नहीं यदि उत्तीर्ण की तो<br>श्रेणी और अंक जो प्राप्त<br>हुये उनका प्रतिशत | रिमार्क |
|----------------|--|----------------------------|---|---------|
| (1)            | (2)                                    | (3)                        | (4)   | (5)     |
|                |  |                            |   |         |
|                |  |                            |   |         |
|                |  |                            |   |         |

(11) क्या पिछले वर्षों में कभी कोई छात्रवृत्ति मिली थी ?

हां/नहीं, यदि हां, तो सूचित कीजिये.

(अन्य किसी योजना के अन्तर्गत)

(1) छात्रवृत्ति

योजना का नाम

(2) उस पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिये छात्रवृत्ति

मिली थी व वर्ष .....

(3) उस संस्था का नाम जिसके माध्यम से छात्रवृत्ति मिली थी

(12) उस संस्था का नाम जहाँ इस वर्ष अध्ययन कर रहा है

.....

(1) वह पाठ्यक्रम जिसके लिए आवेदक द्वारा  
छात्रवृत्ति चाही गई है।

.....

.....

(2) इस वर्ष किस कक्षा में अध्ययन कर रहे

.....

(3) कक्षा में प्रवेश की तिथि

.....

(13) क्या आप संस्था के छात्रावास में या संस्था द्वारा

हां/नहीं, यदि हां, तो उसका नाम

अनुमोदित मान्यता प्राप्त छात्रावास में रहते हैं ?

.....

विवरण दें। (छात्रावास अधीक्षक का प्रमाण-पत्र

पता .....

साथ लगायें।)

.....

प्रवेश पाने की तिथि .....

(14) निम्ननांकित प्रमाण-पत्रों को साथ लगाये :-

(अ) जाति का प्रमाण-पत्र

(प्रपत्र-1)

(ब) आय संबंधी घोषणा

(प्रपत्र-2)

(स) अंक सूची की प्रमाणित प्रतिलिपियां

(15) क्या आपको किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति/ शिष्यवृत्ति प्राप्त हो रही है ? यदि हाँ, तो नाम व राशि

हाँ/नहीं

(16) क्या आप कोई पूर्णकालीन सेवा करते हैं ?

हाँ/नहीं

(17) यदि हाँ, तो विवरण

(18) क्या आवेदक के परिवार में अन्य बच्चों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति मिलती है ? यदि हाँ तो विवरण दें

हाँ/नहीं

नाम छात्र

कक्षा

संस्था का नाम जहाँ अध्ययनरत है

..... वर्ष जब से छात्रवृत्ति मिली है।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने योजना के विनियम पढ़ लिये हैं तथा इस आवेदन-पत्र में मेरे/हमारे द्वारा दिये गये विवरण सही हैं। मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दिया गया कोई विवरण ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका निर्णय अन्तिम होता है गलत पाया गया तो उसका निर्णय मेरे/हमारे लिये अन्तिम और बन्धनकारी होगा और मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की गई पूर्ण छात्रवृत्ति की रकम या अधिक भुगतान की कोई छात्रवृत्ति की रकम मुझसे/हमसे मांगी जाने पर वापिस करूँगा/करेंगे तथा ऐसा न किए जाने पर छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी, यह रकम ऐसे किसी भी तरीके से, जो उचित समझे वसूल कर सकेगा।

(1) आवेदक का पता

(2) पिता/पालक के हस्ताक्षर अथवा निशानी दाहिना, बाया अंगुठा

(3) पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में

(4) छात्र से सम्बन्ध (रिश्तेदारी)

(5) पिता/पालक का धन्दा

स्थान

तारीख

**भाग (ब)**

(उस संस्था के प्रमुख द्वारा भरा जाय जहाँ आवेदक अध्ययन कर रहा हो)

- (1) पाठ्यक्रम की अवधि जिसमें आवेदक अध्ययन कर रहा है .....
- (2) (क) क्या आवेदक को शिक्षण शुल्क भुगतान करने के लिये छूट दी गई है ? हाँ/नहीं .....
- (ख) यदि हाँ, तो/यह बतायें कि पूरे शिक्षण शुल्क की छूट दी गई है या आधे शिक्षण शुल्क की आवेदक की चालू वर्ष में तारीख ..... से तारीख ..... के लिए व्यय इस संस्था को रुपये ..... अनिवार्य फीस ..... (छात्रावास का भाड़ा तथा अन्य प्रासंगिक व्ययों को छोड़) का भुगतान करना होगा जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :-

| आवेदक द्वारा देय वापिस न की जाने वाली समस्त अनिवार्य फीसों के ब्यौरे | दर से           | संस्था को आवेदक द्वारा प्रस्तुत देय राशि | अभ्युक्ति |
|--|-----------------|--|-----------|
| (1)  | (2)             | (3)                                      | (4)       |
|  | रुपये      पैसे | रुपये      पैसे                          |           |
| शिक्षण फीस .....   |                 |  |           |
| परीक्षा फीस .....  |                 |  |           |
| खेल कूद फीस .....  |                 |  |           |
| पुस्तकालय फीस .....  |                 |  |           |
| चिकित्सा फीस .....   |                 |  |           |
|  | योग             |  |           |

संस्था को आवेदक द्वारा देय वापस न की जाने वाली अन्य किसी अनिवार्य फीस का यहाँ उल्लेख किया जाये।

क्या छात्र/छात्रा छात्रावास में रहता है/रहती है ? क्या वह .....

मुफ्त भोजन आवास/मुफ्त आवास/मुफ्त भोजन का हकदार है ? .....

(1) प्रमाणित किया जाता है :-

(1) आवेदक द्वारा भाग (अ) में दी गई जानकारी जाँची गई है .....

एवं वह सही है जानकारी की दुरुस्ती लाल स्याही से अंकित है। .....

(2) पाठ्यक्रम जिसमें आवेदक अध्ययन कर रहा है वह .....

मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम है।

यह संस्था ..... विश्वविद्यालय/मण्डल से संबद्ध है तथा भारत सरकार/राज्य शासन

..... द्वारा मान्यता प्राप्त है, आवेदक इस संस्था में ..... पाठ्यक्रम में पढ़ रहा है जिसमें प्रवेश पाने के लिये न्यूनतम योग्यता ..... पास है।

मैं वचन देता हूँ कि प्राधिकारी द्वारा जब भी आवेदक की छात्रवृत्ति की रकम मुझे सौंपी जायेगी वह जिस निश्चित उद्देश्य के लिये होगी उसका भुगतान उसी प्रकार किया जाकर पूर्ण लेखा-जोखा अधिकारी को नियमित रूप से भेजता रहूँगा। यदि आवेदक संस्था छोड़ दे या पढ़ाई चालू न रखे या कोई अन्य छात्रवृत्तियाँ/शिष्यवृत्ति स्वीकार कर ले तो यह तब तत्काल छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को सूचित किया जायेगा और आवेदक को छात्रवृत्ति का भुगतान भी बन्द कर दिया जायेगा। छात्रवृत्ति फीस आदि से संबंधित संस्था के पास बची अवितरित अतिरिक्त राशि भी शासकीय लेखे में वापिस जमा कर दी जायेगी।

क्रमांक .....

स्थान .....

तारीख .....

.....  
संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम स्पष्ट अक्षरों में .....

पदनाम .....

पता .....

संस्था की मुहर .....

## प्रपत्र (2)

## आय संबंधी घोषणा-पत्र

(घोषणा-पत्र आवेदक के माता/पिता/पति/पालक द्वारा शपथ-पत्र के रूप में दिया जाये)

चूँकि मेरे पुत्र/पुत्री/आश्रित ..... श्री/कुमारी/श्रीमती .....

जो कि ..... का छात्र/छात्रा है, ने छात्रवृत्ति के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

मैं, श्री ..... आत्मज ..... घोषणा करता हूँ  
 कि मेरी विगत वर्ष 31 मार्च, 20 ... तक की कुल आमदनी सब स्रोतों से रूपये .....  
 थी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ कि मेरे द्वारा धारित संपत्ति का ब्यौरा इसके साथ संलग्न पत्र में  
 दिये अनुसार है और मैंने अपने द्वारा भुगतान किये गये विभिन्न करों, उपकरों और भू-राजस्व की रकम का सही रूप से उल्लेख  
 किया है। प्रस्तुत किये गये तथ्यों और आंकड़ों के लिये मैं अपने आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानता हूँ।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि इस घोषणा में दिये गये ब्यौरे असत्य पाये गये तो उक्त .....  
 छात्रवृत्ति की संपूर्ण रकम शासन को एक मुश्त लौटा दूँगा तथा घोषणा की असत्यता संबंधी शासन का निर्णय मेरे लिये अंतिम  
 और बंधनकारी होगा।

स्थान .....

हस्ताक्षर पिता/पति/पालक .....

दिनांक .....

[ पिता/माता/पति (विवाहित छात्राओं के लिये) के जीवित न होने पर ही पालक द्वारा घोषणा-पत्र भरा जावेगा ]

## अनुसूची

(1) धारित भूमि की सीमा

(1) क्षेत्रफल .....

(2) ग्राम .....

(3) भू-मापन क्रमांक (सर्वे नम्बर) .....

(4) भू-राजस्व निर्धारण .....

(2) धारित संपत्ति (मकान, दुकान, भवन,  
मकान के लिये स्थल आदि)

(1) मकान क्रमांक .....

(2) नाम .....

(3) ग्राम/नगर/शहर .....

(4) स्थल का क्षेत्रफल .....

(5) प्राप्त होने वाला भाड़ा यदि कोई हो .....

(6) भुगतान किया गया गृह भाड़ा .....

(7) दुकान का पता .....

(8) धंधा (दुकान का) .....

(9) बिक्री कर/आयकर जो भुगतान किया गया .....

(10) लायसेंस क्रमांक .....

(3) लिया गया वेतन (यदि माता, पिता  
उनकी सेवा में हैं तो पृथक-पृथक  
जानकारी दी जाये)

(1) नियोजक का नाम .....

(2) वह कार्यालय ईकाई जिसमें वह कार्य कर रहा हो .....

(3) पता .....

(4) मासिक उपलब्धियां, वेतन, मंहगाई-भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता,  
सिटी अलाउन्स अन्य अलाउन्स मिलाकर(5) अन्य सुविधायें जैसे मकान भत्ता, निःशुल्क मकान तथा अन्य  
सुविधायें .....

(4) अन्य

(1) अन्य धंधों, साधनों से होने वाली आमदनी/अंशकालीन कार्यों  
से आमदनी .....

(2) मजदूरी के रूप में ली गई रकम .....

(3) कोई अन्य आय .....

स्थान .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर पिता/पति/पालक .....

## आय की घोषणा के सत्यापन के लिये सुझाई गई कार्य प्रणाली

अधिकांशतः आय की घोषणा का सत्यापन कार्यालयीन अभिलेखों को देखकर किया जायेगा, उदाहरणार्थ, शासकीय कर्मचारियों या शासकीय सेवा में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मामले में कार्य का सत्यापन नियोजकों से आय पूछकर किया जा सकता है। कृषकों के मामले में आय राजस्व अधिकारी से जानी जा सकती है, आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के मामले में आय, आयकर, प्राधिकारियों के जरिये जानी जा सकती है, दुकानदारों के मामलों में सत्यापन विक्रय कर आंकड़ों को देखकर किया जा सकता है। विक्रय कर आंकड़ों से दुकानदारों को होने वाले लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है जिसके अनुसार खाद्यान्न के फुटकर विक्रेताओं को 10 से 15 प्रतिशत और थोक विक्रेताओं को 15 से 20 प्रतिशत लाभ सामान्य माना जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनके अपने मकान हैं, उनका वार्षिक भाड़ा मूल्य गृह कर द्वारा सरलता से जाना जा सकता है जो कि या दोनों के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों के मामलों में आय का मोटा अनुमान, स्वामी/काश्तकार या दोनों के रूप में उनके द्वारा धारित भूमि के आकार तथा भूमि की सीमा से और/या भू-राजस्व अभिलेखों की सहायता से लगाया जा सकता है।